(सत्यप्रतिलिपि)
<u>न्यायालय—सत्र न्यायाधीश धमतरी, जिला धमतरी</u>
<u>(आदेश दिनांक 11/11/2020)</u>

<u>ज.या.क.264/2020</u>

कुंजबिहारी पटेल पिता कृपाराम पटेल,
उम्र 61 वर्ष, निवासी सिवनीखुर्द,
थाना अर्जुनी, तहसील व जिला धमतरी (छ.ग.)................आवेदक/अभियुक्त

—<u>विरूद्ध</u>—

छ.ग.शासन
द्वारा थाना रूद्री,
जिला—धमतरी छ.ग. ....अनावेदक

11-11-2020 माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेश क्र. 62/विविध/दो—14—01/2020 बिलासपुर, दिनांक 15 जुलाई, 2020 के परिपेक्ष्य में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश धमतरी के विविध आदेशानुसार प्रकरण मेरे समक्ष पेश।

आवेदक/आरोपी द्वारा श्री सुनील सोलंके, अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री मोहित देवांगन, लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण जमानत आवेदन धारा 439 दं.प्र.सं. पर तर्क एवं केस डायरी हेतु नियत है।

संबंधित थाना रूद्री से केस डायरी प्राप्त।

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 पर उभयपक्षों को सुना गया। आवेदन पत्र के अनुसार आवेदक/आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि उनके विरूद्ध थाना रूद्री के द्वारा धारा 420 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर जिला जेल धमतरी में निरूद्ध किया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। वह जमानत पर रिहा होना चाहता है तथा जमानत पर रिहा होने के पश्चात् न्यायालय के समस्त शर्तों का पालन करने को तैयार है। उसके द्वारा पेश आवेदन प्रथम जमानत आवेदन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन किसी भी सक्षम

न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय छ0ग0 बिलासपुर में लंबित नहीं है और न ही निराकृत हुआ है।

शासन की ओर श्री मोहित देवांगन, अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदन पर घोर आपत्ति करते हुए निवेदन किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति की है। जमानत की सुविधा प्रदान न किया जावे।

आवेदक की ओर से आवेदन के समर्थन में चुनेन्द्र पटेल का शपथ पत्र पेश किया गया है जिसके अनुसार पेश जमानत आवेदन प्रथम जमानत आवेदन है।

थाना रूद्री की केस डायरी के अनुसार प्रार्थी ऋषि कुमार ध्रुव की रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र रूद्री द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 33/2020 अंतर्गत धारा 420 भा.दं.सं. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा गया है। आरोपी पर धारा 420 भा.दं.सं.के तहत् आरोप है कि दिनांक 28.03.2019 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, धमतरी के न्यायालय में झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत कर आरोपी का जमानत लिया गया। आरोपित अपराध न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। आरोपी 60 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति है। आरोपी ग्राम सिवनीखुर्द, जिला धमतरी का स्थायी निवासी है, जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने से अन्यत्र पलायन होने की संभावना नहीं है। वर्तमान में विश्व में कोविड–19 संक्रमण का प्रकोप फैला हुआ है। अतः प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी की ओर से पेश आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त की ओर से 25,000/– रूपये का सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी धमतरी की संतुष्टि योग्य एवं गवाहों एवं विवेचना को प्रभावित नहीं करने की शर्त पर पेश किये जाने जाने पर जमानत पर रिहा किया

जावे।

आदेश की प्रति सहित केस डायरी थाना रूद्री, जिला धमतरी को वापस किया जावे।

जमानत प्रकरण समाप्त। परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार भेजी जावे।

सही/–
(ग्रेगोरी तिर्की)
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी (छ.ग.)

<u>प्रतिलिपि :–</u>

1. आदेश की प्रति सहित अभिलेख, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी धमतरी जिला धमतरी की ओर आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।
2. आदेश की प्रति सहित थाना रूद्री, जिला धमतरी की केस डायरी वापस किया जावे।
3. लोक अभियोजक, धमतरी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(ग्रेगोरी तिर्की)
अपर सत्र न्यायाधीश
धमतरी(छ.ग.)